

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13644/2025

Suresh Kumar

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी
For Respondent(s)	:	श्री प्रेम सिंह पंवार, लोक अभियोजक श्री मुकतेश माहेश्वरी

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

30-01-2026

सुना गया।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने आरोप पत्र के साथ पीडिता के बयान अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एन.एस. पेश किया है जो पढ़ने योग्य नहीं है।

योग्य अधिवक्ता परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण में पीडिता के बयान अंतर्गत 183 बी.एन.एन.एस. की प्रमाणित प्रति पेश करें।

प्रकरण दिनांक 09.02.2026 को सूचीबद्ध किया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

184-Dhanraj Jajoria /-